तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2073/2004/सवाईमाधोपुर **श्याम लाल बनाम ताज खां व अन्य**	

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री वी.पी.सिंह अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री यज्ञ दत शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 1–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध ग्राम छाण स्थित चाह खसरा नम्बर 415 रकबा 8विस्वा के सम्बन्ध में एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलेक्टर खण्डार के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद पत्र के साथ अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधज्ञाा प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अप्रार्थी के दावे व प्रार्थना पत्र का जबाब मय काउण्टर क्लेम व काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों का एक साथ निस्तारण करते हुये प्रार्थी का काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 1–8–03को पारित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित चाह खसरा नम्बर 415 जो कि प्रार्थी की खातेदारी का है, उस पर इंजन अथवा मोटर आदि लगाकर पानी नहीं निकाले। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया कि प्रार्थी अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 416 की पिलाई हेतु ता फैसला वाद पानी देते रहेंगे।उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंनें अपने निर्णय दिनांक 1–5–2004 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रार्थी को पाबन्द किया कि वह अप्रार्थी संख्या 1द्वारा विवादित चाह पर इंजन व मोटर लगाकर पानी लेंने में व्यवधान नहीं करे व इंजन मोटर को नहीं हटावें। इससे व्यथित होकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2073/2004/सवाईमाधोपुर **श्याम लाल बनाम ताज खां व अन्य**	
	यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी विवादित चाह का सुक्खा पुत्र रामनाथ के साथ रेकार्डेड खातेदार दर्ज होकर काबिज चला आ रहा है तथा उक्त चाह में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक अथवा स्वत्व निहित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी अपने साधन से सिंचाई हेंतु पानी देते रहे हैं जिसके बदले प्रतिफल लेते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 को न तो कालूराम ने विवादित चाह में कोई हिस्सा बेचा और न ही ऐसा करने का अधिकार ही था न ही कालूराम चाह का खातेदार था। केवल अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी पिलाई हेतु अपने साधन से पानी बजरिये प्रतिफल देता रहा है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा आज भी अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी पानी देने से इन्कार नहीं कर रहा है। उनका तर्क है कि जिस राजीनामे व निर्णय का अपने निर्णय का अधार बनाया है वह सर्वथा विधि विरूद्ध है। क्योंकि न तो तथाकथित राजीनामा तस्दीकशुदा है और न ही राजीनामे के आधार पर उक्त दावा ही निर्णित हुआ है बल्कि वाद अदम हाजरी में खारिज हुआ है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 1–5–2004 निरस्त किया जावे। 5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि कालूराम ने अपने संयुक्त खाते की आराजी में से खसरा नम्बर 416 की 2बीघा 19विस्वा भूमि का बेचान दिनांक 9–6–75 को अप्रार्थी वादी ताज खां को किया। इस खसरा नम्बर 416 की सिंचाई चाह खसरा नम्बर 415 से बेचान से पूर्व से ही होती थी तथा बेचान के बाद अप्रार्थी वादी कुए पर इंजन लगाकर खसरा नम्बर 416 की सिंचाई करता आ रहा है। उनका तर्क है कि चाह के पानी के लिये वर्ष 1975 में विवाद हुआ था। वर्ष 1978 में राजीनाम हुआ जिसमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2073/2004/सवाईमाधोपुर **श्याम लाल बनाम ताज खां व अन्य**	
	अप्रार्थी चाह खसरा नम्बर 415 से खसरा नम्बर 416 की पिलाई कराता आ रहा है एंव आगे भी करता रहेगा ,लिखा है एवं इसी के आधार पर दावा खारिज हुआ। इसलिये यह स्वीकृत तथ्य है कि चाह खसरा नम्बर 415से खसरा नम्बर 416 की सिंचाई वर्ष 1975 से पूर्व से होती रही है। विक्रय पत्र में कालूराम सहखातेदार ने खसरा नम्बर 415 चाह से खसरा नम्बर 416 की पिवत होना उल्लेख किया है। अप्रार्थी भी चाह खसरा नम्बर 415से खसरा नम्बर 416 की आराजी पिवत करता रहेगा, लिखा है। इसके अलावा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं उनके यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 415 चाह से खसरा नम्बर 416 की सिंचाई होती है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यों के अनुकूल एवं विधिसम्मत है। निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अन्तिम रूप से निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से तीन घटक प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति बाबत मुख्य रूप से विचारण किया जाना है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा गिरदावरी सम्बत 2017 से 2020,सम्बत 2025 से 2028 में बृजमोहन पुत्र कन्हैया लाल, सुखदेव पुत्र रामनाथ हिस्सा 2/3, कालूराम पुत्र गोपी लाल हिस्सा 1/3 दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्बत 2057 से 2060 में खसरा नम्बर 416 पर ताज खां का नाम अंकित है और भूमि की किस्म चाही अंकित है। नकल कूप विवाद सम्बत2017से 2020 में बृजमोहन पुत्र कन्हैया लाल, सुखदेव पुत्र रामनाथ हिस्सा बराबर, कालूराम पुत्र गोपी लाल दर्ज है। कालूराम खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 416की आराजी रकबा 2बीघा 19 विस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ताज खां के पक्ष में किया है। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा नम्बर 416 की सिंचाई पूर्व से ही खसरा नम्बर 415 चाह से होना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1975 में इस बाबत विवाद होने पर वर्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी ए/2073/2004/सवाईमाधोपुर **श्याम लाल बनाम ताज खां व अन्य**	
	1978 में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना पाया जाता है जिसमें खसरा नम्बर 416 की पिलाई खसरा नम्बर 415 चाह से होना व आगे भी कराते रहेंगे, उल्लेख किया है। पक्षकारान के मध्य विवाद पिलाई की अनिश्चितता की सम्भावना को लेकर है क्योंकि प्रार्थी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वे खसरा नम्बर 416 की पिवत अपने इंजन से कर देंगे परन्तु यदि फसल की आवश्यकता के समय पानी नहीं मिले तो अप्रार्थी का सिंचाई का हक होते हुये भी उसकी फसल की हांनि हो सकती है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यों के अनुकूल एवं विधिसम्मत है। जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 8– अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	